

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, ओखला

श्री माँ आनंदमयी मार्ग, ओखला फेस-I, नई दिल्ली-110020

दूरभाष : 011-26814161, फ़ेक्स : 011-26818901 ई-मेल : ms-okhladelhi@esic.nic.in

वेबसाइट : www.esic.nic.in, www.esichospitals.gov.in

सार्वजनिक सूचना

आम जनता एवं रोगियों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों सहित सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, ओखला, औद्योगिक क्षेत्र, ओखला फेस-।, नई दिल्ली अपनी रिकॉर्ड छंटनी नीति के भाग के रूप में अपने पुराने चिकित्सा अभिलेखों को नष्ट करने जा रहा है। इन अभिलेखों को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख के एक महीने के नोटिस के बाद की तारीख के ब नष्ट किए जाएंगे।

पुराने चिकित्सा अभिलेखों को वर्ष 2003 में संशोधित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC & PNDT) अधिनियम 1994 की धारा 29(1) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय के दिनांक 09.05.2019 के परिपत्र संख्या यू-16/30/232/2013-Pro.Cell (SST)/Maha/Wup में निर्धारित चिकित्सा अभिलेख की प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार नष्ट किए जाएंगे।

तदनुसार, दिनांक मार्च 2021 तक डिस्चार्ज किए गए अंतरंग रोगियों की केस शीट और बहिरंग रोगी विभाग/आपातकालीन विभाग से संबंधित दिनांक मार्च 2021 तक के चिकित्सा अभिलेख नष्ट किए जाएंगे ।

विकिरण विभाग से संबंधित दिनांक 31/12/2021 तक के पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक से संबंधित अभिलेख भी नष्ट किए जाएंगे । दिनांक 01.04.2019 को 3 वर्ष से अधिक पुराने अन्य विविध अस्पताल चिकित्सा अभिलेखों को मुख्यालय के दिनांक 09.05.2019 के परिपत्र के अनुसार नष्ट किया जाएगा। तथापि, जन्म, मृत्यु और चिकित्सा विधिक मामलों से संबंधित चिकित्सा अभिलेखों को शाश्वत काल तक रखा जाएगा।

यह सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति या उनके कानूनी प्रतिनिधि या अन्य प्राधिकारी यदि;

- इन अभिलेखों में से किसी अभिलेख की प्रतिलिपि लेना चाहते हों;
- इस अभिलेखों में दी गई किसी प्रकार की जानकारी की जरूरत हो;
- इन अभिलेखों के आधार पर किसी दस्तावेज को जारी करने या उनमें कोई परिवर्तन चाहते हों, या;
- इस अभिलेखों की विषय सूची में उनका कोई अधिकार/अभिरुचि, जो कुछ भी हो, या भविष्य में किसी ऐसे अधिकार/अभिरुचि की संभावना हो;

तो, वह इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वांछित अभिलेखों के विवरण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उपर्युक्त अभिलेखों को दिनांक 10/08/2022 के बाद, जो अधिहस्ताक्षरी को उपयुक्त लगे, किसी भी तारीख को नष्ट कर दिए जाएंगे। इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के बाद किसी भी तरह के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

tille चेकित्सा अधीक्षक

दिनांक : 03/10/2024

स्थान : नई दिल्ली





Employees' State Insurance Corpration Hospital Sree Maa Anandmayee Marg, Okhla Phase-I, New Delhi-110020 E-mail ID : <u>ms-okhladelhi@esic.nic.in</u>, Telephone No.: 011-26814161

F.NO. 114/D-30/11/1/2012/MRD

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public in general and all concerned, including patients & their legal representatives, that the ESIC Hospital, Okhla Ph 1 New Delhi, intends to destroy its old medical records as part of its Weeding Out policy. The elimination of these records would be carried out on a date subsequent to **one month notice for the date of publication of the "Public Notice"**.

The destruction of old records would be as per the guidelines mentioned in Section 29(1) of the Pre conception and Pre natal Diagnostic Technique Act, 1994. (Amended in 2003) and as per the Retention schedule of Medical Records laid down by the ESI Headquarters in its Circular No. U-16/30/232/2013-Pro.Cell (SST)/Maha./Wup dated 09/05/19.

Accordingly the case sheets of the Indoor patients discharged upto March 2021 along with the records of the OPD / Casualty would be liable to be destroyed.

PC & PNDT Records of Radiology department up to 31/12/2021 will also be destroyed Other miscellaneous hospital medical records which are older than 03 yrs as on 31.03.2024 are also liable to be destroyed in accordance with schedule dt 09/05/19 However, records pertaining to Births, Deaths & Medico Legal Cases will be retained till perpetuity.

This is to notify that in case any member of the Public or a patient or his/her legal representative or any authority Desires a copy of any of these records or

- Needs any information contained therein or
- Wants issue of or alteration in any document furnished on the basis of these records or
- Holds any stake/interest whatsoever in the contents of these records or is likely to hold any such stake/interest in the future.

then He / She may file an objection mentioning the details of the record in question in the office of the Medical Superintendent within a period of 30 days of publication of this notice.

In case no objection is received within the aforementioned period of 30 days, the above mentioned records will be destroyed forthwith ,on any date after **one month notice from the date of Publication of the Public Notice**, which is deemed suitable by the undersigned. No correspondence will be entertained regarding the matter after the efflux of time beyond the period of 30 days of publication of this notice.

Medical Superintendent 3 9 4

Date: 27.09.2024 Place: New Delhi